

प्रेषक,

अधिशाली अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
प्रखण्ड-गाजीपुर।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गाजीपुर।

पत्रांक १५२ / ग्रा०अ०वि० / स्कूल / पत्रा०स०- / 2024-25 दिनांक 28-9-2024

विषय : आर०एस०एल० इण्टरनेशनल स्कूल, अंधऊ (देवकठिया), जनपद-गाजीपुर हेतु भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरूप चेकलिस्ट प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : मुख्य विकास अधिकारी, गाजीपुर के पत्रांक 281 / आ०लि० / 2024, दिनांक 09.09.2024

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में आर०एस०एल० इण्टरनेशनल स्कूल, अंधऊ (देवकठिया), जनपद-गाजीपुर हेतु जाँचोपरान्त भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरूप 22 बिन्दुओं की चेकलिस्ट बनाकर अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

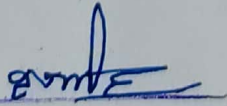
संलग्नक : चेकलिस्ट की प्रति।

भवदीय

अधिशाली अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
प्रखण्ड-गाजीपुर।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

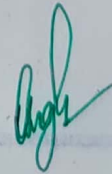
प्रतिलिपि : प्रबन्धक, आर०एस०एल० इण्टरनेशनल स्कूल, अंधऊ (देवकठिया), जनपद-गाजीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।



प्रबन्धक

आर०एस०एल० इण्टरनेशनल स्कूल
अंधऊ, देवकठिया-गाजीपुर

अधिशाली अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
प्रखण्ड-गाजीपुर।



Principal
R.S.L. International School
Andhau, Dewkathiya-Ghazipur

विद्यालय का नाम : आर.एस.एल. इंटरनेशनल स्कूल, अंधाऊ (देवकाठिया), जनपद गाजीपुर

क्र० सं०	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जाँच आख्या
-------------	--------------------------------	---------------

भवन की चेक लिस्ट

01.	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजिनियर से बनवाया गया है?	हाँ
02.	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	हाँ
03.	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक उँचा है?	नहीं
04.	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000 वर्गमी०) है?	हाँ
05.	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मीटर खुला स्थान है?	हाँ
06.	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है भवन में सेट बैंक में पार्किंग तो नहीं है?	हाँ
07.	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
08.	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मीटर है?	हाँ
09.	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है, यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हाँ
10.	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेंट मसाले से बने हैं?	हाँ
11.	क्या भवन की दीवारों/छतों में क्रैक हैं?	नहीं
12.	क्या कक्षों की छतों की उँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ढंडे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है?	हाँ
13.	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउन्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं उँचाई 4.50 मी० है?	हाँ
14.	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ/नहीं
15.	क्या कक्षा में न्यूनतम दरवाजे हैं?	हाँ
16.	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (1.0मी० उँचाई 2.0मी०) है?	हाँ
17.	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	हाँ
18.	क्या एक मंजिल से अधिक उँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी० ट्रेड 300 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है?	हाँ
19.	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं ऑटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	हाँ
20.	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First aid Fire Fighting Appliance) की व्यवस्था है?	हाँ
21.	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	हाँ
22.	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First Aid Box) स्थापित है?	हाँ

JBKED

Principal
R.S.L. International School
Andhau, Dewkathiya-Ghazipur

सहायक अभियन्ता

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग

गाजीपुर - गाजीपुर

आर.एस.एल. इंटरनेशनल स्कूल
अंधाऊ, देवकाठिया - गाजीपुर